

संलग्नक - 40

67B

पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के रोपण संबंधी

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र को वर्ष 1972 में आदेश संख्या 4887(2)/ 14-2-794/ 72 दिनांक 2-9-72 द्वारा 6.394 हेक्टेयर वन भूमि, रिहन्द पावर स्टेशन से रेणुकूट प्लांट तक 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण करने हेतु 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1972 से 31.03.1997 तक) लीज पर आवंटित किया गया था। उक्त वनभूमि का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/04/2074 /2000/एफ.सी./726 दिनांक 06.10.2000 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 774/ 14-2-2000-749/72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 6.394 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः आगामी 25 वर्षों के लिये (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है ।

चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र पर वर्ष 1972 से 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित है तथा पारेषण लाईन के नीचे पहले से ही प्राकृतिक रूप से पौधे उपलब्ध हैं, जिनकी शाखा तराशी प्रतिवर्ष वन विभाग से परमीशन लेकर करायी जाती है। फिर भी भारत सरकार/उ०प्र०सरकार द्वारा शर्त लगाने पर समतुल्य वन क्षेत्र पर बौने पौधों के रोपण हेतु नियमानुसार जो भी व्यय निर्धारित किया जायेगा, उसका भुगतान करने हेतु हिण्डालको संस्थान बचनबद्ध है ।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

